राजस्थान कर बोर्ड,अजमेर

1.अपील संख्या 754/2010/जयपुर
2.अपील संख्या 756/2010/जयपुर
3.अपील संख्या 759/2010/जयपुर
4.अपील संख्या 760/2010/जयपुर
5.अपील संख्या 761/2010/जयपुर
6.अपील संख्या 762/2010/जयपुर
7.अपील संख्या 763/2010/जयपुर
8.अपील संख्या 764/2010/जयपुर

मैसर्स एच.सी.एल.इन्फोसिस्टमस् लिमिटेड.
जयपुर — अपीलार्थी

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी
प्रतिकरापवंचन,जोन–प्रथम,जयपुर — प्रत्यर्थी

खण्डपीठ
श्री खेमराज, अध्यक्ष
श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित :

श्री विक्रम गोगरा
अभिभाषक — अपीलार्थी की ओर से
श्री एन.के.बैद
उप राजकीय अभिभाषक — प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक 22.05.2017

निर्णय

अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से उपरोक्त आठ अपीलें अपीलार्थी व्यवहारी उपायुक्त (अपील्स)प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 104 से 109/आरवैट/ए/07–08 एवं अपील संख्या 121 व 122/आरवैट/ए/07–08 में पारित सयुक्तादेश दिनांक 22.01.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं, जिसके द्वारा उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, जोन–प्रथम, जयपुर (जिसे आगे **"निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 25, 55, 61 एवं 65 के तहत् वर्ष 2003–04, 2004–05, 2006–07 एवं 2007–08 के निर्धारण पृथक–पृथक आदेश दिनांक 17.09.2007 एवं 11.10.2007 जरिये निम्न तालिका के अनुसार अन्तर कर, अनुवर्ती ब्याज व शास्ति आरोपित की है, को यथावत रखा है :–

लगातार.....2

अ.सं.	कर. नि.वर्ष	कर	सरचार्ज	ब्याज	शास्ति	कुल योग
754/10	03–04	16614/–	2492/–	18915/–	38,212/–	76233/–
756/10	04–05	42276/–	2492/–	17012/–	96,508/–	158288/–
759/10	07–08	132579/–	–	4668/–	265158/–	402405/–
760/10	07–08	17912/–	–	217/–	35428/–	53953/–
761/10	06–07	104235/–	–	9497/–	208470/–	322202/–
762/10	06–07	145781/–	–	9396	291562	446739/–
763/10	06–07	45851/–	–	6777/–	91702/–	144330/–
764/10	06–07	17873/–	–	2105/–	35747/–	55725/–

चूंकि आठ अपील प्रकरणों के तथ्य व विवादित बिन्दु समान हैं। अतः आठ अपील प्रकरणों का निर्णय संयुक्तादेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक अपील पत्रावली पर पृथक् से रखी जा रही है।

प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 30.08.2007 को किया गया था, जिसमें पाया गया कि व्यवहारी द्वारा H.P. कम्पनी के प्रोडक्ट Multi functional Devices (जिसे आगे 'MFD' कहा जायेगा) का विक्रय 4 प्रतिशत की दर से कर वसूल करते हुए किया जा रहा था। निर्धारण अधिकारी ने पाया कि उक्त MFD, आलौच्य अवधियों में अधिनियम की अनुसूची–IV के क्रम संख्या 65 अनुसार पार्ट–ए की प्रविष्टि संख्या 03. Computer system and peripherals, computer printers and electronic diaries., की श्रेणी में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है, जिस पर अधिनियम की अनुसूची–V अनुसार वैट की 12.5 प्रतिशत की दर देय है, जबकि व्यवहारी द्वारा 4 प्रतिशत ही वसूल किया जा रहा है। अतः निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधियों वर्ष 2003–04, 2004–05, 2006–07 एवं 2007–08 हेतु अधिनियम की धारा 26, 55, 61 एवं 65 के तहत् पृथक–पृथक कर निर्धारण आदेश दिनांक 17.09.2007 एवं 11.10.2007 को पारित कर, उपरोक्त तालिकानुसार अन्तर कर, अनुवर्ती ब्याज एवं शास्ति आरोपित करते हुए आदेश पारित किये हैं। उक्त पारित आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी ने प्रस्तुत अपीलों में आरोपित कर, अनुवर्ती ब्याज एवं शास्तियों को यथावत रखा है। अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश से असन्तुष्ट होकर उपरोक्त आठों

लगातार.....3

अपीलें अपीलार्थीव्यवहारी की ओर से प्रस्तुत की गई हैं।

अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने अपीलीय आदेश को अविधिक बताते हुए कथन किया कि व्यवहारी द्वारा MFD पर अधिनियम की अनुसूची–IV की पार्ट–ए की क्रम संख्या 65 के अन्तर्गत प्रविष्ठि क्रम संख्या 3 के अनुसार विधिक रूप से 4 प्रतिशत से कर वसूल किया जा रहा है तथा व्यवहारी ने उसका कोई पण्यावर्त लेखा–पुस्तकों से छिपाया नहीं है, इसलिए करापवंचन का प्रकरण नहीं होने के बावजूद क्षेत्राधिकार अधिग्रहण कर करारोपण करना अविधिक है। ऐसे प्रकरणों में प्रतिकरापवंचन शाखा के अधिकारियों का क्षेत्राधिकार नहीं है, अतः पारित आदेश अपास्त योग्य हैं।

अग्रिम कथन किया कि व्यवहारी H.P. के MFD की बिक्री करता है, जो कि अधिनियम की अनुसूची–IV की वर्गीकृत श्रेणी 65-Part-A की प्रविष्ठि संख्या 03 "Computer system and peripherals, computer printers and electronic diaries." (अधिसूचना संख्या एफ.12(63)एफडी/टैक्स/ 2005–158 दिनांक 31.3.2006) अनुसार के अधीन 4 प्रतिशत की दर से कर देयता रखती है।

बहस को आगे बढ़ाते हुए अभिवाक् किया कि Computer & Computer Peripherals/Printers को वेट अधिनियम के तहत परिभाषित तो नहीं किया गया है, लेकिन Information Technology Act, 2000 की धारा 2(1) अनुसार –

> **"...'Computer & Computer peripherals/printers' means any electronic, magnetic, optical or other high-speed data processing device or system which performs logical, arithmetic, and memory functions by manipulations of electronic, magtnetic or optical impulses and includes all input, output, processing, storage, computer software, or communication facilities which are connected or related to the computer in a computer system or computer network."**

अग्रिम कथन किया कि राज्य सरकार ने वर्ष 2010–11 में जरिए अधिसूचना संख्या एफ.12(22)एफडी/टैक्स/10–83 दिनांक 9.3.2010 को MFD को अनुसूची–IV के अन्तर्गत वर्गीकृत श्रेणी 65 पार्ट–ए की प्रविष्ठि संख्या 3 में ''कमप्यूटर प्रिन्टर्स' के स्थान पर (Computer printers including Multifunctional devices) को प्रतिस्थापित किया है, जिसका तात्पर्य है कि इस तिथि तक MFD इस प्रविष्ठि में अर्न्तनिहित होने से इस पर 4 प्रतिशत की दर से ही कर दायित्व था, व्यवहारी द्वारा कर भी तदनुरूप ही जमा कराया गया है।

अग्रिम कथन किया है कि कर निर्धारण अधिकारी ने अतिरिक्त आयुक्त (विधि) के मैसर्स रीको इण्डिया लिमिटेड में दी गयी रूलिंग की भी विवेचना की है और अवधारण निर्णय (2006) 11 आर.एस.टी.आर.–जे–202 जिसकी कर बोर्ड ने (2007) 19 टैक्स अपडेट 342 में पुष्टि की है। जबकि वेट अधिनियम की धारा 36 के तहत पारित

लगातार.....4

उक्त आदेश में कर दर अवधारण हेतु Multi-functional Digital Copier Machine विवादित थी, जबकि अपीलार्थी के प्रकरण में MFD विवादित है, जो कि वेट अधिनियम की अनुसूची–IV अनुसार 4 प्रतिशत से कर योग्य है।

उन्होंने अपने उपरोक्त कथन के समर्थन में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच जयपुर द्वारा एस.बी.सेल्स टैक्स रिवीजन पिटीसन नम्बर 24/2015 मैसर्स कोरस (इण्डिया) एवं अन्य बनाम सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर,प्रतिकरापवंचन, राजस्थान, जयपुर एवं एस.बी.सेल्स टैक्स रिवीजन पिटीसन नम्बर 21/2010 मैसर्स ह्यूलैट पैकर्ड इण्डिया सेल्स प्रा0 लि0 एवं अन्य बनाम उपायुक्त (अपील्स)प्रथम, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर एवं अन्य के प्रकरण में निर्णय दिनांक 19.02.2016 पारित कर विवादित **'MFD'** पर कर देयता 4 प्रतिशत निर्धारित की है। अतः उक्त आठों अपीलों में अन्तर कर एवं सरचार्ज व ब्याज आरोपित करना अविधिक है। अतः कर एवं ब्याज के बिन्दु पर अपीलें स्वीकार करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से विद्धान अधिवक्ता द्वारा अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत आरोपित शास्ति के सम्बन्ध में कथन किया किया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी ने कर योग्य विक्रय के समस्त संव्यवहारों को अपनी नियमित लेखा पुस्तकों में दर्ज कर, सद्भाविक रूप से विवरणियां प्रस्तुत की है जिनमें किसी प्रकार की विक्रय की विगत को छुपाया नहीं गया है। चूंकि हस्तगत अपीलों में कर दर का बिन्दु विवादित है एवम् माननीय न्यायालयों द्वारा समान परिस्थितियों में, विक्रय संव्यवहारों के बहीयात में दर्ज होने तथा कर दर विवादित होने की दशा में, शास्ति आरोपण को विधि सम्मत होना नहीं माना गया है। इस संबंध में माननीय न्यायालयों के निम्न न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित विधि महत्वपूर्ण हैः–

(i) वाणिज्यिक कर अधिकारी, स्पेशल सर्किल, पाली बनाम् मैसर्स सोजत लाईम कम्पनी, 74 एस.टी.सी.288 (राज.)
(ii) वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम् मैसर्स बारां कॉपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी लि. 93 एस.टी.सी. 239 (राज.)
(iii) सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम् मैसर्स कुमावत उद्योग 97 एस.टी.सी. 238 (राज.)
(iv) वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, उदयपुर बनाम् मैसर्स एल.एन.टी. कोमात्सू लि. उदयपुर, सैल्स टैक्स रिवीजन पिटीशन क्रमांक 226/2009 से 229/2009 निर्णय दिनांक 29.03.2010 (राज.)
(v) मैसर्स लार्ड वैंकटेश्वरा कैटरर्स बनाम् वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, जोन–प्रथम, जयपुर 19 टैक्स अपडेट 85(राज.)
(vi) मैसर्स कृष्णा इलेक्ट्रीकल्स बनाम् स्टेट ऑफ तमिलनाडु व अन्य (2009) 23 वी. एस.टी. 249 (सु.को.)
(vii) मैसर्स ह्यूलेट पेकर्ड इण्डिया सेल्स प्रा.लि. बनाम् सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन जोन द्वितीय, जयपुर–25 टैक्स अपडेट 189[आर.टी.बी.(डी.बी.)]

लगातार.....5

इस प्रकार, उपर्युक्त वर्णित न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित विधि के आलोक में विद्वान अपीलीय अधिकारी द्वारा शास्ति को यथावत रखने के बिन्दु पारित आदेश पूर्णतः अविधिक एवं अनुचित है । उन्होंने उक्त कथन के आधार पर आरोपित शास्तियों को अपास्त करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एफ.12(22)एफडी/टैक्स/10–83 दिनांक 9.3.2010 में भी MFD को अनुसूची–IV की वर्गीकृत श्रेणी 65 में पार्ट–ए की प्रविष्ठि संख्या 3 से MFD को इक्सक्लूड(प्रथम) किये जाने के कारण ही अधिसूचना को Exclude भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता है। उनका कथन है कि राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा मैसस इनग्राम माइक्रो इण्डिया लिमिटेड,सुदर्शनपुरा इण्डस्ट्रियल एरिया, जयपुर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवचंन, जोन–तृतीय,जयपुर अपील संख्या 1779/2012 से 1783/2012/जयपुर के निर्णय दिनांक 10.09.2013 एवं के अनुसार Multi-functional Device पर 12.5 प्रतिशत की दर से कर देयता निर्धारित की गयी है। उपरोक्तानुसार उन्होंने अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत आरोपित शास्ति को भी उचित बताते हुए कर बोर्ड के प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टांत के आलोक में, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपीलों को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उभय पक्षीय बहस सुनी गयी। रिकार्ड का परिशीलन किया गया। विद्वान अभिभाषक ने प्रकरणों में प्रतिकरापवंचन शाखा के अधिकारियों का क्षेत्राधिकार नहीं होने का तर्क दिया, जो कि उचित नहीं है, क्योंकि किसी व्यवहारी द्वारा अधिसूचित दर से कर ज़मा नहीं कराया जाता है तो ऐसे प्रकरणों में प्रतिकरापवंचन अधिकारियों का क्षेत्रात्रिकार आयुक्त, वाणिज्यिक कर के परिपत्र संख्या एफ.3(ए)(9)/ ज्यूरिस/टैक्स/सीसीटी/97–2 दिनांक 8.5.2001 के आलोक में निश्चित रूप से प्रभावी है। अतः उक्त आपत्ति को खारिज किया जाता है।

अतिरिक्त आयुक्त द्वारा वेट अधिनियम की धारा 36 के तहत Multi-functional Digital Copier Machine को Computer Peripheral के तहत नहीं मानते हुए इसमें कम्प्यूटर से स्वतंत्र रूप से कोपिंग व फैक्स होने के कारण इस पर 12.5 प्रतिशत से वेट अवधारित किया था, जिसकी माननीय कर बोर्ड की समन्वय पीठ (खण्डपीठ) ने निर्णय (2008) 29 एस.टी.टी. 06 के द्वारा पुष्टि की गई है। इसके अलावा माननीय राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ ने मैसर्स ह्यूलैट पैकर्ड इण्डिया प्रा0 लि0 बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन जोन–द्वितीय, जयपुर के प्रकरण में निर्णय (2009) 25 टैक्स अपडेट 189 में All in one Printer को भी वेट अधिनियम की

लगातार.....6

अनुसूची–IV के **भाग–ए की क्रम संख्या 3** को **"Computer system and peripherals, computer printers and electronic diaries"** में नहीं मानते हुए इसे Photo Copier Machine की **श्रेणी में अवधारित** किया है, इसमें भी विवादित वस्तु Multi-functional Printer (M.F.P.) था।

अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच जयपुर द्वारा एस.बी.सेल्स टैक्स **रिवीजन पिटीसन नम्बर 24/2015** मैसर्स कोरस (इण्डिया) **एवं अन्य** बनाम सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर,प्रतिकरापवंचन,राजस्थान, जयपुर एवं एस.बी.**सेल्स टैक्स रिवीजन पिटीसन नम्बर 21/2010** मैसर्स ह्यूलैट पैकर्ड **इण्डिया सेल्स** प्रा0 लि0 एवं अन्य बनाम **उपायुक्त (अपील्स)प्रथम, वाणिज्यिक कर** विभाग, जयपुर **एवं अन्य** के प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 19.02.2016 को उद्धृत किया **है**, जिसमें कर विवादित **'MFD' पर कर देयता 4 प्रतिशत निर्धारित** की है। माननीय **राजस्थान उच्च** न्यायालय की एकलपीठ द्वारा वाणिज्यिक कर अधिकारी,प्रतिकरापवंचन वृत द्वितीय,राजस्थान,जयपुर बनाम **मैसर्स** जीरोक्स इण्डिया लिमिटेड, **जयपुर** एस.बी.सेल्स टैक्स रिवीजन पिटीशन नम्बर 34/2015 में पारित निर्णय दिनांक 22.12.2016 के **अनुसार** मल्टी फंकशनल डिवाईसेस आलोच्य अवधि में **रेज्यूडरी एन्ट्री** के तहत 12.5 व 14 प्रतिशत **से कर योग्य नहीं है वरन्** उक्त मल्टी फंकशनल डिवाईस **पर आलोच्य** अवधि में 4 प्रतिशत की दर से कर देयता निर्धारित की है, **जिसके** सुसंगत भाग निम्न प्रकार है :–

"in **favour of the Assessees**, this Court is satisfied that the commodity **in question**, namely, Multi Functional **Device could** not be taxed by the Assessing Authority **under the** Residuary Entry **for the** period from 01.04.2006 **to** 09.03.2010, and the said commodity would fall within the ambit **and** scope of entry relating **tc computer** printers and computer peripherals, taxable @ **4% in** Scheduled IV of the VAT Act."

अतः मल्टी फंकशनल डिवाईस **में आलोच्य अवधि में 4** प्रतिशत की दर से कर देयता निर्धारित **की** जाती है। आलोच्य अवधि में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा मल्टी फंकशनल डिवाईस पर 4 प्रतिशत **की बजाय 12.5/ 14** प्रतिशत से कर आरोपित **करना विधिअनुकूल नहीं** है। अतः अपीलीय **अधिकारी द्वारा कर** निर्धारण आदेश की पुष्टि किया जाकर **उपरोक्त तालिका** के अनुसार आरोपित कर एवं ब्याज को यथावत रखना विधिक दृष्टि से भी स्वीकार योग्य नहीं है। अतः कर एवं ब्याज के बिन्दु पर अपीलार्थी व्यवहारी **की प्रस्तुत** अपीलें स्वीकार की जाकर अपीलीय अधिकारी के **अपीलाधीन** आदेश को अपास्त किया **जाता है। इस** बिन्दु पर अपीलार्थी व्यवहारी की अपीलें स्वीकार **की जाती हैं**। अतः आलोच्य अवधि में विवादित वस्तु मल्टी फंकशनल

लगातार.....7

डिवाइसेस पर कर देयता 4 प्रतिशत की दर से कायम की जाती हैं

अपीलार्थी व्यवहारी ने कर योग्य विक्रय के समस्त संव्यवहारों को अपनी नियमित लेखा पुस्तकों में दर्ज कर, सद्भाविक रूप से विवरणियां प्रस्तुत की है जिनमें किसी प्रकार की विक्रय की विगत को छुपाया नहीं गया है। चूंकि हस्तगत अपील में कर दर का बिन्दु विवादित है एवम् माननीय न्यायालयों द्वारा समान परिस्थितियों में, विक्रय संव्यवहारों के बहीयात में दर्ज होने तथा कर दर विवादित होने की दशा में, शास्ति आरोपण को विधि सम्मत होना नहीं मानकर अपीलीय अधिकारी ने अधिनियम की धारा 61(1) के अन्तर्गत आरोपित शास्ति को यथावत रखा है,जो उपरोक्त प्रोद्धिरित न्यायिक दृष्टान्तों में प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुरूप नहीं है। अतः अधिनियम की धारा 61(1) के अन्तर्गत आरोपित शास्ति के बिन्दु पर अपीलीय अधिकारी के आदेश को अपास्त किया जाकर अपीलार्थी व्यवहारी की अपील स्वीकार की जाती है।

फलस्वरूप उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त आठ अपीलें स्वीकार की जाती है।

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य

(खेमराज)
अध्यक्ष